[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 44/2021 - सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2021

सा.का.नि. .... (अ)- सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, चीन जनवादी गणराज्य और इंडोनेशिया में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित "विस्कोस स्टेपल फाइबर बांस फाइबर वर्जित", जो कि उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 5504 10 00 के अंतरगत आता है, पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को वापस लेती है और एतदद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 43/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 8 अगस्त, 2016, जिसे सा.का.नि. 777 (अ) दिनांक 8 अगस्त, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था को निरसित, ऐसे निरसन से पूर्व की गयी अथवा न की गयी बातों को छोड़ते हुए, करती है।

[मि.स. CBIC-190354/74/2021-TO(TRU-I)-CBEC]

गौरव सिंह

(गौरव सिंह)

उपसचिव भारत सरकार

नोट: प्रधान अधिसूचना सं. 43/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 8 अगस्त, 2016 को सा.का.नि 777 (अ) दिनांक 8 अगस्त, 2016 के तहत प्रकाशित किया गया था और अधिसूचना सं. 39/2021- सीमाशुल्क (एडीडी), 30 जून, 2021 जिसे सा.का.नि. 455 (अ), दिनांक 30 जून, 2021 के तहत अंतिम बार संशोधन किया गया था ।